भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1591
जिसका उत्तर 4 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।
13अग्रहायण, 1946 (शक)

डिजिटल इंडिया मिशन

1591.श्री जिया उर रहमानः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(ख) क्या सरकार ने फर्जी खबरों और गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए कोई पहल की है;
(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या नीतिगत उपाय अपनाए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार ने साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी को नियंत्रित करने के लिए कोई सुरक्षा उपाय किए हैं और कोई योजना लागू की है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क):भारतसरकारने 17 दिसंबर 2019 कोराष्ट्रीयब्रॉडबैंडमिशनकीशुरुआतकीथीजिसकाउद्देश्यडिजिटलसंचारअवसंरचनाकातेजीसेविकासकरने औरसभीकेलिएकिफायतीऔरसार्वभौमिकब्रॉडबैंडपहुँचप्रदानकरनाहै। इसमिशनकाउद्देश्यपूरेदेशमें (विशेषरूपसेग्रामीणऔरदूरदराजकेक्षेत्रोंमें) विकासको गति प्रदान करना औरब्रॉडबैंडकी सेवाओं कोसार्वभौमिकऔरसमानस्तर पर उपलब्ध कराना है।

दूरदराजकेक्षेत्रोंमेंइंटरनेटकनेक्टिविटीबढ़ानेकेलिएनिम्नलिखितकार्यकिएगएहैं:-

(i) केंद्रीकृतराइटऑफवेपोर्टल: गतिशक्तिसंचारपोर्टल (राइटऑफवेअनुमतियोंकेलिएकेंद्रीकृतपोर्टल) 14 मई 2022 कोलॉन्चकियागया थाताकिऑप्टिकलफाइबरकेबलबिछानेऔरटेलीकॉमटावरलगानेकेलिएत्वरितराइटऑफवे (आरओडब्ल्यू) अनुमतियोंकेलिएआवेदकोंको अपना कार्य करने में सुविधा हो।पोर्टलमें सभी 36 राज्यों/केंद्रशासितप्रदेशोंऔरचारकेंद्रीयमंत्रालयोंकोशामिल/एकीकृतकियागया है।

(ii) संचार मंत्रालय द्वाराभारतीयटेलीग्राफराइटऑफवे (आईटीआरओडब्ल्यू)नियम 2016 भीलाए गए थे, जिनमें 5जीरोल-आउटकेलिएअगस्त 2022 मेंसंशोधनकियागयाथा। इन नियमों में ओवरग्राउंडऔरअंडरग्राउंडटेलीकॉमइंफ्रास्ट्रक्चरकेलिएदरोंकेमानकीकरण, 5जीछोटेसेलकेउपयोगकेलिएस्ट्रीटफर्नीचरकीदरोंऔरमुआवजेऔरबहालीकेलिएलागूशुल्कोंकाप्रावधानकिया गया है।दूरसंचारविभागसभीराज्यों/केंद्रशासितप्रदेशोंके साथ उनकीआरओडब्ल्यू नीतियोंकोकेंद्रीयराइटऑफवेनियमोंकेसाथसंरेखितकरनेऔरलंबितराइटऑफवेआवेदनोंकोनिपटाने केलिएसंपर्कबनाए हुए है।

इसकेअलावा, दूरसंचारअधिनियम 2023 मेंपारितकियागयाथा औरइसकेअनुसारदूरसंचार (राइट ऑफ वे) नियम, 2024 लाएगएजो 1 जनवरी 2025 सेलागूहोंगे ।

(ख) से (ङ):भारतसरकारकीनीतियोंकाउद्देश्यदेशमेंउपयोगकर्ताओंकेलिएएकखुला, सुरक्षित, विश्वसनीयऔरजवाबदेहसाइबरस्पेससुनिश्चितकरनाहै।
साइबरस्पेसमेंफर्जीखबरोंऔरगलतसूचनाओंकीचुनौतियोंसेनिपटनेकेलिएभारतसरकारद्वाराकीगईप्रमुखपहलेंइसप्रकारहैं:

इलेक्ट्रॉनिकीऔरसूचनाप्रौद्योगिकीमंत्रालय ("मंत्रालय") नेसंबंधितहितधारकोंकेसाथव्यापकपरामर्शकेबाद, सूचनाप्रौद्योगिकीअधिनियम, 2000 ("आईटीअधिनियम") केतहतप्रदत्तशक्तियोंकाप्रयोगकरतेहुएसूचनाप्रौद्योगिकी (मध्यस्थदिशा-निर्देशऔरडिजिटलमीडियाआचारसंहिता) नियम, 2021 ("आईटीनियम, 2021") कोअधिसूचितकियाहै। आईटीनियम, 2021 मेंसोशलमीडियामध्यस्थोंसहितअन्य मध्यस्थोंपरसूचनाकेसंबंधमेंविशिष्टपरिश्रमसंबंधीदायित्वडाला गया है, ताकिवेस्वयंउचितप्रयासकरेंऔरअपनेकंप्यूटरसंसाधनकेउपयोगकर्ताकोयहबताएंकिउसेकिस सूचना को प्लेटफॉर्मपरहोस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, प्रकाशित, प्रेषित, संग्रहीतयासाझानहींकरना है।मध्यस्थोंकोअपनीजवाबदेहीसुनिश्चितकरनेकीआवश्यकताहै, जिसमेंनियमोंकेतहतनिर्धारितसमय-सीमाकेभीतरगैरकानूनीसूचनाकोहटानेकीदिशामेंउनकीत्वरितकार्रवाईकरना अपेक्षित है। इसउद्देश्यकेलिए, गैरकानूनीसूचनाके अंतर्गत निषिद्धऔरगलत सूचना, स्पष्टरूपसेझूठीसूचना, असत्ययाभ्रामकप्रकृतिकीसूचनाशामिलहै।

आईटीनियम, 2021 मेंशिकायतोंकेसमाधानकेलिएमध्यस्थोंद्वाराशिकायतअधिकारीकीनियुक्तिकीभीआवश्यकताहै। ऐसेअधिकारीकोइननियमोंकेउल्लंघनकेखिलाफपीड़ित/शिकायतकर्ताकीशिकायतोंकासमयबद्धआधार पर निवारणकरनाअपेक्षितहै।
यदिपीड़ित/शिकायतकर्तामध्यस्थकेशिकायतअधिकारीकेनिर्णयसेव्यथितहैयाउसेसमयपरनिवारणनहींमिलताहै, तोवहशिकायतअधिकारीसे पत्रप्राप्तहोनेकेतीसदिनोंकेभीतरशिकायतअपीलीयसमितिमेंअपीलकरसकताहै। आईटीनियम, 2021 मेंविनिर्दिष्ट उचित कर्मठता का पालनन करनेकेमामलेमें, मध्यस्थों को आईटीअधिनियमकेतहतकिसीभीतीसरेपक्षकीजानकारी, डेटायासंचारलिंककेलिएजवाबदारीसेछूटनहीं दी जाएगी।

आईटीनियम, 2021 मेंएकअतिरिक्तसावधानीउपायकेरूपमें, प्रमुखसोशलमीडियामध्यस्थ("एसएसएमआई") (अर्थातभारतमें 50 लाखयाउससेअधिकपंजीकृतउपयोगकर्ताओंवालाएकसोशलमीडियामध्यस्थ) समय-समयपरअनुपालनरिपोर्टप्रकाशितकरताहै, जिसमेंउनसूचनाओं केलिंकोंकाउल्लेखहोताहैजिन्हेंउसनेस्वचालितटूलकाउपयोगकरकेहटादियाहैयारोकदियाहै।एसएसएमआई कोअन्यअतिरिक्तउचितपरिश्रमकेअलावाभारतकीसंप्रभुताऔरअखंडता, राज्यकीसुरक्षा, विदेशीराज्योंकेसाथमैत्रीपूर्णसंबंधयासार्वजनिकव्यवस्था, याउपरोक्तसेसंबंधितअपराधकेलिएउकसावेयाबलात्कार, यौनरूपसेस्पष्टसामग्रीयाबालयौनशोषणसामग्री (सीएसएएम) सेसंबंधितसूचनाकेपहलेस्रोतकीपहचानकरनेमेंसक्षमबनाकरघटना की रोकथाम करने, उसका पतालगाने, जांच करने तथा अभियोजनयादंडकेलिएकानूनप्रवर्तनएजेंसियों (एलईए) केसाथसहयोगकरनाभीआवश्यकहै।

इसकेअलावा, साइबरस्पेसमेंगलतसूचनाआदि नुकसानोंकोदूरकरनेकेलिएमंत्रालयनेउद्योगकेहितधारकों/सोशलमीडियाप्लेटफॉर्मकेसाथकईपरामर्शकिएहैं औरएडवाइज़रीजारीकीहै, जिसकेमाध्यमसेमध्यस्थोंकोआईटीनियम, 2021 केतहतउल्लिखितउनकेउचितपरिश्रमदायित्वोंकेबारेमेंयाददिलायागयाऔरदुर्भावनापूर्ण 'सिंथेटिकमीडिया' और 'डीपफेक' सहितगैरकानूनीसामग्रीकामुकाबलाकरनेकीसलाहदीगई। सरकारनियमितरूपसेप्रौद्योगिकीकंपनियोंके संपर्क में रहतीहैताकिउन्हेंइननियमोंकेतहतउचितपरिश्रमआवश्यकताओंकेबारेमेंजागरूककियाजासके।

आईटीअधिनियमकेतहतनियुक्तमनोनीत अधिकारी भारत की संप्रभुताऔरअखंडता, सुरक्षा, राज्यकीसुरक्षा, अन्य
राष्ट्रोंकेसाथमैत्रीपूर्णसंबंधोंयासार्वजनिकव्यवस्थाकेहितमेंयाउपरोक्तसेसंबंधितसंज्ञेयअपराधकोभड़कानेकेलि एविशिष्टसूचना/लिंक (सट्टेबाजीयाजुआसाइटोंसहित) तकपहुंचकोअवरुद्धकरनेकेलिएमध्यस्थोंकोअवरोधनआदेशजारीकरताहै। सूचनाप्रौद्योगिकी (सार्वजनिकरूपसेसूचनातकपहुंचकोअवरुद्धकरनेकेलिएप्रक्रियाऔरसुरक्षाउपाय) नियम, 2009 मेंपरिकल्पितप्रक्रियाकापालनकरताहै।

उपरोक्तकेअलावा, 2023 मेंअधिनियमितभारतीयन्यायसंहिता, 2023 ("बीएनएस") साइबरअपराधोंसहितविभिन्नअपराधोंकेखिलाफकड़ीसजाकाप्रावधानकरताहै। बीएनएसमें अन्यबातोंकेसाथ-साथऐसे "संगठितअपराध" कोपरिभाषितकिया गया हैजिसमेंआर्थिकअपराध, साइबरअपराधशामिलहैं,
जोकिसीव्यक्तियाव्यक्तियोंकेसमूहद्वारासंगठितअपराधसिंडिकेटकेसदस्यकेरूपमेंयाऐसेसिंडिकेटकीओरसे किएजातेहैं। बीएनएसकेतहतसजाकेकईअन्यप्रावधानभीधोखाधड़ीकेमामलेमेंलागूहोसकतेहैं, जिनमेंछद्म तरीके से धोखाधड़ी करना, आपराधिकविश्वासघात करना और जालसाजीकरना आदिशामिलहैं।इनमेंसेअधिकांशधाराओं में गैर-जमानतीअपराधोंका प्रावधान किया गया है।

साइबरअपराधोंके संबंध मेंजागरूकताफैलानेकेलिएसरकारसमय-समयपरविभिन्नपहलकरतीरहीहै। इनमेंसोशलमीडियाकेमाध्यमसेसाइबरसुरक्षायुक्तियां, सूचनासुरक्षासंबंधी सर्वोत्तमप्रथाओंकाप्रकाशन, साइबरसुरक्षाऔरसुरक्षाजागरूकताकार्यक्रमआयोजितकरनाआदिशामिलहैं।

एमईआईटीवाईनेइंटरनेटकाउपयोगकरतेसमयउपयोगकर्ताओंकेबीचजागरूकतापैदाकरनेऔरइंटरनेटसेसंबंधितनैतिकताकेमहत्वकोउजागरकरनेकेलिएसूचनासुरक्षाशिक्षाऔरजागरूकता (आईएसईए) नामकएककार्यक्रमशुरूकियाहै, जिसमेंउन्हेंअफ़वाहों/फर्जीखबरोंकोसाझा न करनेकीसलाहदीगईहै। सूचनासुरक्षाजागरूकताकेलिएएकसमर्पितवेबसाइटबनाईगईहैजोनियमितआधारपरप्रासंगिकजागरूकतासामग्रीतैयारकरतीहैऔरउसेअपग्रेडकरतीहै,
औरइसेयहाँhttps://www.infosecawareness.inपरदेखाजासकताहै।

भारतीयकंप्यूटरआपातकालीनप्रतिक्रियादल (सर्ट-इन) साइबरधोखाधड़ीकोरोकनेकेलिएकईउपायकररहाहै। इनमेंनियमितआधारपरकंप्यूटर, मोबाइलफोन, नेटवर्कऔरडेटाकीसुरक्षाकेलिएनवीनतमसाइबरखतरों/कमजोरियोंऔरप्रतिवादोंकेबारेमेंअलर्टऔरपरामर्शी निदेशजारीकरना,
संगठनोंकीसाइबरसुरक्षास्थितिऔरतैयारियोंकाआकलनकरनेकेलिएसाइबरसुरक्षामॉकड्रिलआयोजितकरना शामिलहै ।

आरबीआईऔरबैंकभीछोटेएसएमएस, रेडियोअभियान, साइबरअपराधकीरोकथामपरप्रचारआदिकेमाध्यमसेजागरूकताअभियानचलारहेहैं। इसकेअलावा, आरबीआईधोखाधड़ीऔरजोखिमन्यूनीकरणकेबारेमेंइलेक्ट्रॉनिक-बैंकिंगजागरूकताऔरप्रशिक्षण (ई-बात) कार्यक्रमआयोजितकररहाहै। इसकेअलावा, ग्राहकद्वाराग्राहकसेवावेबसाइटयाबैंकोंकीशाखाओंपरवित्तीयधोखाधड़ीकीरिपोर्टभीदर्ज कराई जा सकती है।

साइबरअपराधोंसेव्यापकऔरसमन्वितरीकेसेनिपटनेकेकार्यतंत्रकोमजबूतकरनेकेलिए , केंद्रसरकारनेकदमउठाएहैं, जिनमेंअन्यबातोंकेसाथ- साथनिम्नलिखित भी शामिलहैं-

(i) भारतीयसाइबरअपराधसमन्वयकेंद्र (आई4सी) कीस्थापनाकरना;

(ii) महिलाओंऔरबच्चोंकेखिलाफसाइबरअपराधोंपरविशेषध्यानदेनेकेसाथ-साथसाइबरअपराधोंकीरिपोर्टकरनेके मामलों में जनताकोसक्षमबनानेकेलिए 'राष्ट्रीयसाइबरअपराधरिपोर्टिंगपोर्टल' (https://cybercrime.gov.in)औरटोल-फ्रीहेल्पलाइननंबर '1930' काशुभारंभऔरसंचालन करना;

(iii) वित्तीयधोखाधड़ीकीतत्कालरिपोर्टिंगऔरधोखेबाजोंद्वाराधनकीहेराफेरीकोरोकनेकेलिए 'नागरिकवित्तीयसाइबरधोखाधड़ीरिपोर्टिंगऔरप्रबंधनप्रणाली' काशुभारंभ करना;

साइबरअपराधजांच, फोरेंसिक, अभियोजनआदिकेमहत्वपूर्णपहलुओंपरऑनलाइनपाठ्यक्रमकेमाध्यमसेपुलिसअधिकारियों/न्यायिकअधिकारियोंकीक्षमतानिर्माणकेलिए ' साइट्रेन ' पोर्टलनामकविशालमुक्तऑनलाइनपाठ्यक्रम (एमओओसी) प्लेटफॉर्मकाविकास करना और उसे अधिप्रमाणित भी करना। पोर्टलकेमाध्यमसेराज्यों/केंद्रशासितप्रदेशोंके 96,288 सेअधिकपुलिसअधिकारीपंजीकृत किए गएहैंऔर 70,992 सेअधिकप्रमाणपत्रजारीकिएगएहैं।

****